हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

संख्या : पीसीएच-एचबी (1)12/2006-क. आ. नौ.- शिमला-9, दिनांक 05 जून 2021

कार्यालय आदेश

वित्त (विनियम) विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय यू ओ संख्या: फ़िन (सी)बी(15)-2/2014-52919255, दिनांक 07/07/2014 व पत्र संख्या: फ़िन-जी-बी(15)1/2015 दिनांक 31 जनवरी 2015 के अन्तर्गत प्राप्त परामर्श के दृष्टिगत जिला परिषद काडर के अधीन विभिन्न श्रेणियों के पदों पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों को इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 27/09/2017 के जारी होने की तिथि से सेवा-निवृति तथा सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की अवस्था में उन्हें/उनके आश्रितों को संबन्धित कर्मचारी के अर्जित अवकाश खाते मे सेवा-निवृति/मृत्यु की तिथि को देय अर्जित अवकाश के बदले नकदीकरण तथा अनुगृहीत उपदान के रूप में नियमानुसार देय राशि अदा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस राशि का भुगतान जनजातीय जिलो में संबन्धित जिला परिषद द्वारा उन्हें **मांग संख्या-31 मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रम-00-796-जिला परिषदों को सहायता-01-सून-राज्य योजना-P-V-41 सहायता अनुदान (वेतन)** के अन्तर्गत विभाग से जिला परिषद के कर्मचारियों/पदादिकारियों के वेतन/मानदेय की अदायगी हेतु प्राप्त अनुदान राशि मे से वहन किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्त (पैंशन) विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: फ़िन(पैन)ए(3)-1/96 दिनांक 17/08/2006 है, के अन्तर्गत अधिसूचित अंशदायी पैंशन नियम 2006 जो दिनांक 15/05/2003 से प्रभावी हुए हैं, पर पुनः विचार करने उपरान्त वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: फ़िन (पैन)ए(3)-1/96 दिनांक 18 सितंबर 2017 में अंकित प्रावधान (जो राजपत्र असाधारण में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे) के दृष्टिगत जिला परिषद काडर के अधीन विभिन्न श्रेणियों के नियमित कर्मचारियों की सेवा निवृति/मृत्यु उपदान के रूप में नियमानुसार उक्त शीर्ष से ही देय लाभ प्रदान किया जाएगा।

(आदेश द्वारा)
सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या : पीसीएच-एचबी (1)12/2006-क. आ. नौ.- 56587-600 शिमला-9, दिनांक 05 जून 2021

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 को सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)-अतिरिक्त उपायुक्त चंबा, जिला चंबा को सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)-परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम जिला किन्नौर व लाहौल स्पिति को सूचनार्थ।
4. सचिव (जिला परिषद) किन्नौर, लाहौल-स्पिति व चंबा को सूचनार्थ।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिति) पूह, रिकांगपिओ, निचार, केलांग, काजा, पांगी व भरमौर को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक बजट, राज्य मुख्यावास, पंचायती राज निदेशालय, शिमला-9 को सूचनार्थ।

(सुरेन्द्र मालटू)
संयुक्त सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-9.
दूरभाष संख्या: 2623805 (e-mail ID jointdirectorprhp@gmail.com))